कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

आदेश / सेवा.अराज. / 1639 / 3क(2) / 30 प्र0शि0 / काउंसलिंग / 2023–24 / दिनांक 07 नवम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 संशोधित नियमावली 2019 एवं संशोधन 2021 के नियम–16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डलान्तर्गत वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को 30 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु पूर्व विज्ञप्ति के क्रम में अवशेष आवेदन पत्रों के माध्यम से द्वितीय चरण में अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति की जानी है। पदोन्नतियां प्रदान करने से पूर्व आवेदित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है–

क्र0सं0	विषय का नाम	कांउसिलिंग की तिथि	समय
01	हिन्दी	20–11–2023	प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक
02	अंग्रेजी	21–11–2023	
03	गणित	22–11–2023	
04	सामाजिक विज्ञान	22–11–2023	
05	व्यायाम	22–11–2023	
06	वाणिज्य	23–11–2023	
07	गृह विज्ञान	23–11–2023	

काउसिलिंग हेतु वेबसाइट में जारी सूची में अंकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि कांउसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि/समय को वे अपने साथ समस्त मूल शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों/अद्यतन टीचर प्रोफाइल प्राथमिक/प्रारम्भिक शिक्षा में प्रथम नियुक्ति आदेश एवं पदोन्नति आदेश (सम्पूर्ण दो सेट छायाप्रति) फाईल सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सम्पूर्ण मूल अभिलेखों की जांचोपरान्त एवं नियमावली में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने पर ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को पदोन्नति प्रदान की जायेगी। **पदोन्नति हेतु अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है किन्तु पदोन्नति अवशेष रिक्त पदों के प्रति ही की जाएगी।** काउसिलिंग की तिथि को सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को On Duty समझा जायेगा, किन्तु यात्राभत्ता अनुमन्य नहीं होगा। अभिलेख सत्यापन हेतु विषयवार प्रस्तावित शिक्षकों की सूची तथा विस्तृत निर्देश विभाग की बेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है।

डॉ. (एस.बी. जोशी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ0सं0 / सेवा.अराज. / 14634-52 / 3क(2) / 30 प्र0शि0 / काउंसलिंग / 2023–24 / उक्तवत्।

प्रतिलिपि :–

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल।
04. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची में अंकित सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार कांउसलिंग में उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें।
05. समस्त उपशिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल।
07. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय सामाचार पत्र में (8×10 सेमी0) भाग में सःशुल्क दिनांक 11/11/2023 को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
09. कार्यालय पत्रावली।

अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालयः- अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
E-mail- adgarhwalmandalpauri@gmail.com

30 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से स०अ०एल०टी० में पदोन्नति हेतु आवेदित प्र०अ० रा०प्रा०वि० एवं स०अ० रा० उ०प्रा०वि० / रा०आदर्श विद्यालय के शिक्षकों की कांउसिलिंग के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं संशोधित नियमावली 2019 एवं संशोधन 2021 के नियम–16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत होनी है।
2. काउन्सिलिंग हेतु अर्ह अध्यापकों को ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी।
3. पदोन्नति में विद्यालय आवंटन स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के पैरा–18 के अन्तर्गत किये जायेगे।
4. शिक्षक अपने सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, नियुक्ति पत्र एवं अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों के साथ काउन्सलिंग की तिथि में उपस्थित होंगे।
5. सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के दो सैट स्वतः प्रमाणित अभिलेखों सहित दो पृथक–पृथक फाईलों में काउन्सलिंग की तिथि को उपलब्ध करायेंगे।
6. फाईल के कवर पर अध्यापक का नाम, विषय एवं पता काली स्केच पैन से लिखा जायेगा।
7. दोनों फाईलों के शीर्ष पर 30 प्रतिशत पदोन्नति वर्ष 2020 मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा।
8. काउन्सलिंग का क्रम वही होगा जो पोर्टल में विषयवार अंकित है।
9. **पदोन्नति हेतु अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष दो गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है किन्तु पदोन्नति अवशेष रिक्त पदों के प्रति ही की जाएगी।**
10. काउन्सलिंग तिथि को सभी शिक्षक On Duty समझे जायेंगे, किन्तु यात्राभत्ता अनुमन्य नहीं होगा। ।
11. पोर्टल www.schooleducation.uk.gov.in में अपलोड सूची अन्तिम सूची न समझी जाय उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रतीक्षा सूची अपलोड की जा सकती है।
12. विषयवार पोर्टल में अपलोड सूची में अंकित अन्तिम अभ्यर्थी से पूर्व नियुक्त आवेदित अध्यापक/अध्यापिका (जो उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं संशोधित नियमावली 2019 में अवधारित शैक्षिक/प्रशिक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों) का नाम सूची में छूट गया हो तो वे अपना प्रत्यावेदन अभिलेखों सहित स्वयं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में काउसिलिंग की तिथि से 05 दिन पूर्व सम्बन्धित पटल सहायक को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। अन्यथा भविष्य में सम्बन्धित के आवेदन पत्र में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
13. यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन किये जाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका से सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा 500.00 (पांच सौ रूपये) अभिलेख सत्याप हेतु कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. एस.बी. जोशी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी